

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भगवान सहाय बनाम पांची अपील संख्या:-164/2014 (जीसीएमएस नम्बर 2014/00056)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
------------------------	---	--

15.09.25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3, 2, 5 से 7 एवं 9 के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट को आवाज दिलवाई गई, अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। तत्पश्चात् प्रकरण में पुनः अधिवक्ता अपीलान्ट को रूक-रूककर बार-बार आवाज लगवाई गई उसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि हस्तगत अपील वर्ष 2014 से तलबी में ही विचाराधीन चल रही है एवं अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी कई बार अनुपस्थित रहे हैं, और उन्हें अंतिम अवसर भी दिया गया है। उसके उपरान्त भी अधिवक्ता अपीलान्ट आज भी अनुपस्थित है एवं अपीलान्ट की ओर से अन्य कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।



(पूनम)

संभागीय आयुक्त
जयपुर।